

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठारिीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुंमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 99/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हडूमानराम पुत्र देदाराम		1. जगमालराम पुत्र ठाकराराम
2. जोगाराम पुत्र देदाराम		2. मेघाराम पुत्र ठाकराराम
3. पेम्पो पत्नी देदाराम जातियान जाट निवासी नारायणपुर (सडा झुण्ड) तहसील सिणधरी जिला बाडमेर		3. केहराराम पुत्र ठाकराराम
		4. पुनमाराम पुत्र पुराराम
		5. बेसराराम पुत्र पुराराम
		6. कुम्भाराम पत्रु पुराराम
		7. ईसराराम पुत्र दीपाराम
		8. टीकमाराम पुत्र दीपाराम
		9. चापाराम पुत्र दीपाराम
		10. लाखाराम पत्रु सूजाराम
		11. भादाराम पत्रु सूजाराम
		12. भंमराराम पुत्र सूजाराम जातियान कलबी
		13. भेंराराम पुत्र कानाराम
		14. फुसाराम पुत्र कानाराम
		15. गेमाराम पत्रु कानाराम
		16. मेघाराम पुत्र ठाकराराम
		17. केहराराम पुत्र ठाकराराम
		18. जगमालराम पुत्र ठाकराराम
		19. कुम्भाराम पुत्र सोनाराम
		20. रूपाराम पुत्र मेराजराम
		21. टीकमाराम पुत्र सोनाराम जातियान जाट निवासी नारायणपुर, सडा झुण्ड, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम  
1956 (वास्ते-विवादित गूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश


दिनांक 11.01.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खेत मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 136 रकबा 18.3562 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा राजस्व ग्राम नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 136 रकबा 18.3562 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 136 रकबा 18.3562 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 136 रकबा 18.3562 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

  
अधिकारी

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पञ्जावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 136 रकबा 18.3562 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पञ्जावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकॉर्ड खातेदार है, और रिकॉर्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राजस्व ग्राम नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 136 रकबा 18.3562 हैक्टेयर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी